# परिवहन निगम मुख्यालय
# लखनऊ।

पत्रांकः 373 प/CENT/2019–प5निगम/2015TC

दिनांक 12 जुलाई, 2019

1–समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक,
2–समस्त सेवा प्रबन्धक,
3–समस्त सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक (डिपो),
उत्तर प्रदेश परिवहन निगम।

**विषयः निगम चालकों का स्वास्थ्य एवं नेत्र परीक्षण अनिवार्य रुप से कराने के सम्बन्ध में।**

आप अवगत हैं कि परिवहन निगम का मुख्य दायित्व यात्रियों को सुरक्षित परिवहन बस सेवा उपलब्ध कराना है। निगम बसों से यात्रा करने वाले यात्रियों को सुरक्षित गन्तव्य तक पहुंचाने में निगम चालक की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। दिनांक 10–7–2019 को शासन की उच्च स्तरीय सड़क सुरक्षा से सम्बन्धित बैठक सम्पन्न हुई जिसमें चालकों के स्वास्थ्य परीक्षण पर विशेष बल देने की अपेक्षा की गई है। दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण रखकर सुरक्षित बस संचालन के लिये आवश्यक है कि चालकों का स्वास्थ्य परीक्षण नियमित रुप से कराया जाय।

इस सम्बन्ध में आपका ध्यान उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम कर्मचारी (अधिकारियों से भिन्न) सेवा विनियमावली, 1984 के विनियम 17(2) व 17(3) की ओर आकर्षित करना है, जिनके अनुसार निगम में नियोजित चालकों का समय–समय पर स्वास्थ्य एवं नेत्र परीक्षण कराया जाना अनिवार्य है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि उपयुक्त सरकारी चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक से प्राथमिकता पर सम्पर्क कर समस्त चालकों (नियमित एवं संविदा) का स्वास्थ एवं नेत्र परीक्षण कैम्प की व्यवस्था सुनिश्चित करायें। स्वास्थ्य परीक्षण संलग्न सूची के अनुसार कराया जायेगा। उक्त परीक्षण पर आने वाला व्ययभार निगम द्वारा वहन किया जाना है। स्वास्थ्य एवं नेत्र परीक्षण में उपयुक्त पाये गये चालकों से ही डियूटी ली जाये। परीक्षण में अनुपयुक्त पाये गये चालकों को चिकित्सीय परामर्श एवं इलाज के उपरान्त उपयुक्त पाये जाने पर ही डियूटी पर लिया जाय।

सर्वप्रथम 50 वर्ष की आयु से अधिक आयु वाले समस्त चालकों का परीक्षण 12 दिन में पूर्ण कराते हुये, सूचना निम्नांकित प्रारुप अनुसार दिनांक 25.07.2019 तक अवश्य उपलब्ध करायेंगे :–

तालिका–1

| डिपो का नाम | कुल कार्यरत् चालकों की संख्या (अक्षम को छोड़कर) | कुल कितने चालकों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया | परीक्षण में फिट पाये गये चालकों की संख्या | परीक्षण में अनफिट पाये गये चालकों की संख्या | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

तालिका–2 फिट चालकों का विवरण

| क्र.स. | चालक का नाम | चालक की आयु | चालक का एम्प्लाई कोड | नियमित/संविदा |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Downloaded from www.upsrtc.com